


५९/३५१५

10.06.2024:- पत्रावली पेशी में आई। वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। वादी अधिवक्ता को पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

